उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 14/2016/863/36-03-2016-19(सा0)/16

लखनऊ दिनांक 06, जुलाई,2016

<u>कार्यालय- ज्ञाप</u>

प्रमुख सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13, अगस्त, 2015 को आयोजित स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि मानव तस्करी रोकने हेतु छत्तीसगढ राज्य के अनुरूप प्रदेश में निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम बनाया जाय। तत्क्रम में प्रमुख सचिव श्रम उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 04, मई, 2016 को आयोजित बैठक में छत्तीसगढ राज्य द्वारा निर्गत अधिनियम, 2013 (संख्या-23/2013) के माडल को ध्यान मे रखते हुए मानव तस्करी रोकने हेतु अधिनियम निरूपित किये जाने हेतु संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा श्री राज्यपाल वर्किंग ग्रुप का गठन निम्नवत् करते है:-

1	प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव गृह अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (विशेष सचिव स्तर से अनिम्न)	सदस्य
3	प्रमुख सचिव महिला एवं बाल कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (विशेष सचिव स्तर से अनिम्न)	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, श्रम छत्तीसगढ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (विशेष सचिव स्तर से अनिम्न)	सदस्य
5	श्रम आयुक्त, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर/उप श्रमायुक्त (बाल श्रम) मुख्यालय कानपुर	सदस्य- सचिव
7	यूनीसेफ लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	शक्तिवाहिनी संस्था द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

2- उक्त वर्किंग ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2013 के माडल पर प्रदेश में मानव तस्करी रोकने हेतु अधिनियम निरूपति किये जाने हेतु समस्त स्टेक होल्डरों से विचार-विमर्श कर व संबंधित अन्य अधिनियमों के अध्ययन के उपरांत प्रस्तावित अधिनियम का आलेख 02 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाय।

आज्ञा से,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 14/2016/863/36-03-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव श्रम छत्तीसगढ शासन।
4- श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
5- यूनीसेफ लखनऊ।
6- शक्तिवाहिनी संस्था नई दिल्ली।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(परशुराम प्रसाद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।